मु0न0:– 102/2023

उनवानः– गंगादेवी बनाम तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0:–102/2023 तारीख रजूः–17.07.2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

गंगा देवी पत्नि रामप्रसाद निवासी सलेमपुर कलां तहसील वैर हाल निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(वादी)

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(प्रतिवादी)

दावा बावत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः– श्री कृष्ण कुमार मित्तल (वादीगण)

निर्णय दिनांकः– .05.2024

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कमालपुरा स्थित आराजी ख0नं0 1399/0.19, 1400/0.17, 1428/0.33, 1429/0.37, 1430/0.30, 1431/0.11, 1700/0.14, 1701/0.15, 1702/0.15, 1703/0.42, 509/0.05, 511/0.20, 541/0.24, 542/0.04, 543/0.04, 544/0.27, 545/0.04, 546/0.05, 547/2641/0.23, 551/0.34 है0, कुल किता 20 कुल रकबा 3.83 है0 हाल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में इस भूमि की खातेदारी गंगो देवी पत्नि रामप्रसाद के नाम दर्ज है। गंगो देवी सही नाम नहीं है, गलत है। सही नाम गंगा देवी है। इस प्रकार गंगो देवी के स्थान पर गंगा देवी नाम दुरूस्त करने के संबंध में यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जमाबंदी सम्वत 2012 आधारवर्ष में कल्याणदास के स्थान पर विरासत का नामान्तकरण खुला था, जिसमें स्पष्ट रूप से गंगा देवी धर्मपत्नी रामप्रसाद नाम दर्ज है, लेकिन सहवन से वाद की जमाबंदी में गंगा देवी के स्थान पर क्लेरिकल मिस्टेक से गंगो देवी दर्ज हो गया।

वादिया ने प्रतिवादी से दिनांक 10.07.2023 को तहसील टोडाभीम में कहा कि मेरा भूमि विवादित जमाबंदी में गंगा देवी के स्थान पर गंगो देवी गलत दर्ज हो गया है, मेरा नाम दुरूस्त कर दिया जावे। इस पर तहसीलदार टोडाभीम ने कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ। तभी नाम दुरूस्त होगा। इसलिये यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादिया खिलाफ प्रतिवादी बाबत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती नाम डिक्री किया जाकर खसरा नम्बरान 1399/0.19, 1400/[illegible]8/0.33, 1429/0.37, 1430/0.30, 1431/0.11, 1700/0.14, 1701/0.15, 17[illegible]0.15, [illegible]03/0.42, 509/0.05, 511/0.20, 541/0.24, 542/0.04, 543/[illegible]/0.04, 546/0.05, 547/2641/0.23, 551/0.34 है0, कुल [illegible] 20 कुल रकबा 3.83 है0 में खातेदारी में द[illegible] गंगो देवी पत्नी श्री रामप्रसाद के स्थान पर सही नाम गंगा देवी [illegible]नी रामप्रसाद दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जावे कि हाल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में उपरोक्तानुसार इन्द्राज करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार उपस्थित । पैरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत जबाव में ग्राम कमालपुरा की आराजी सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:27:05 IST
Reason: SelfAttested

मु0न0:– 102 / 2023

उनवानः– गंगादेवी बनाम तहसीलदार

2075–78 के खाता सं0 90 में खसरा नम्बरान 1399, 1400, 1428, 1429, 1430, 1431, 1700, 1701, 1702, 1703, 509, 511, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 / 2641, 551 कुल किता 20 कुल रकबा 3.83 है0 गंगो देवी पत्नि रामप्रसाद जाति संजोगी सा0 ग्राम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2052 आधार वर्ष की खाता सं0 21 में नामा0 सं0 21 / 09.12.96 में कल्याण दास चेला रेवडदास कौम संजोगी निवासी ग्राम सलेपुर कला तहसील वैर जिला भरतपुर हाल निवासी कमालपुरा का नोट अंकित है। जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2055–2058 की चौसाला जमाबन्दी बनाते समय पटवारी हल्का द्वारा भूलवश गंगादेवी धर्मपत्नि रामप्रसाद के बजाय गंगोदेवी धर्मपत्नि रामप्रसाद नाम दर्ज कर दिया गया है, जो कि आज दिनांक तक चला आ रहा है। जो वादिया का गलत नाम है। वादिया का नाम मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2052 में दर्ज नामान्तकरण नोट के गंगोदेवी के बजाय गंगादेवी किया जाना उचित होगा।

वादीया वकील व पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। वादीया वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम कमालपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 90 मे गंगो देवी पत्नि रामप्रसाद जाति संजोगी दर्ज रिकार्ड है। जबकि वादीया का सही नाम गंगा देवी पत्नि रामप्रसाद है जो जमाबन्दी आधार वर्ष सम्वत 2052 मे नामांतकरण न0 21 दिनांक 09.12.1996 से साबित है। इसलिये वादीया का नाम वर्णित आराजीयात मे गंगो देवी पत्नि रामप्रसाद जाति संजोगी के स्थान पर गंगा देवी पत्नि रामप्रसाद जाति संजोगी दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने जबाब मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादीया का नाम गंगो देवी पत्नि रामप्रसाद जाति संजोगी दर्ज रिकार्ड है। आधार जमाबन्दी सम्वत 2052 मे दर्ज नामांतकरण न0 21 के नोट मे गंगा देवी पत्नि रामप्रसाद जाति संजोगी के नाम स्वीकार हुआ है। इसलिये वादीया का नाम गंगोदवी पत्नि रामप्रसाद के स्थान पर गंगादेवी पत्नि रामप्रसाद दर्ज किया जाना उचित है।

वादीया वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तोजात का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम कमालपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 90 मे कुल किता 20 कुल रकवा 3.83 है0 मे वादीया का नाम गंगो देवी पत्नि रामप्रसाद हिस्सा पूर्ण जाति संजोगी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल आधार वर्ष 2052 मे दर्ज नामांतकरण न0 21 के नोट मे गंगा देवी पत्नि रामप्रसाद जाति संजोगी का अंकन है। वादीया का आधार कार्ड न0 7096 8739 6277 भी वादीया का नाम गंगा देवी पत्नि रामप्रसाद का अंकन है इसी अनुरूप तहसीलदार टोडाभीम ने भी वादीया का नाम गंगो देवी पत्नि रामप्रसाद के स्थान पर गंगादेवी पत्नि रामप्रसाद शुद्व किये जाने की अभिशंषा की है। उक्त विवेचन अनुसार वादीया का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:27:05 IST
Reason: SelfAttested

अतः ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 [illegible]9, 1400 / 0.17, 1428 / 0.33, 1429 / 0.37, 1430 / 0.30, 1431 / 0.11, [illegible] 1702 / 0.15, 1703 / 0.42, 509 / 0.05, 511 / 0.20, 541 / 0.24, 542 [illegible] / 0.27, 545 / 0.04, 546 / 0.05, 547 / 2641 / 0.23, 551 / 0.34 है0, कुल किता 20 कुल रकब[illegible]83 है0 मे गंगोदेवी पत्नि रामप्रसाद जाति संजोगी के स्थान पर गंगा देवी पत्नि रामप्रसाद जाति संजोगी दर्ज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक .05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर